संख्या-3/2024 /116/78-2-2024-ई-252330

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक:19 जनवरी, 2024

विषय: परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीनस्थ उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में शासकीय सेवाएं अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्धति से आम-जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु आईटी पूल फण्ड से प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषय में परिवहन विभाग के पत्र संख्या-2291/तीस-1-2023 दिनांक 27-10-2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रू0-3,07,04,190.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि स्वयं के संसाधनों से वहन किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या-301/ वेबपोर्टल मो0एप/2023 दिनांक 24-11-2023 द्वारा अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी। तदनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 17-11-2023 के संदर्भ में राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा पत्र संख्या-CeG/p/9/III/313/2023T-C दिनांक 30-11-2023 के माध्यम से प्रस्ताव में आकलित व्यय-भार की 50 प्रतिशत धनराशि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने संसाधनों/ स्त्रोतों से वहन किये जाने की संस्तुति सहित अपना अभिमत/ संस्तुति उपलब्ध करायी गयी।

2- उपरोक्त के क्रम में आईटी पूल फण्ड की गाइडलाइन एवं तदविषयक निर्गत शासनादेश संख्या-805/78-2-2016-53आईटी2008टीसी दिनांक 12-05-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" मद में प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 लाख में से युवा कल्याण विभाग को ''युवा साथी मोबाइल ऐप" विकसित किये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0-4,61,114.00 के पश्चात वर्तमान में अवशेष धनराशि रू0-245.39 लाख में से स्वीकृति हेतु परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रू0-3,07,04,190.00 के सापेक्ष आईटी एवं इले0 विभाग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि रू0-1,53,52,095.00 के सापेक्ष मोबिलाइजेशन एडवांस हेतु प्रथम किश्त के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि रू0-15,35,209.00 (रू0- पन्द्रह लाख पैतीस हजार दो सौ नौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित् शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
(4) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।
(5) भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि आहरित कर स्टेट बैंक इण्डिया/ राष्ट्रयकृत बैंकों में ही रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज आर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17-03-2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित विभाग / निगम द्वारा हार्डवेयर का क्रय नहीं किया जायेगा।

(9) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-15,35,209.00 (रू0-पन्द्रह लाख पैतीस हजार दो सौ नौ मात्र) का आहरण कर, उसका व्यय परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन हेतु साफ्टवेयर विकास के लिए उपयोग किया जायेगा।

(10) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग ''आईटी पूल फण्ड की गाइडलाइन'' एवं ई-गवर्नेन्स हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(13) परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि ही आईटी पूल फण्ड से स्वीकृत की जायेगी शेष 50 प्रतिशत धनराशि का वहन परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने स्रोतों /बजट से किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या-3/2024 /116(1)/78-2-2024 एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी,लखनऊ।
9. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स,लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 30-11-2023 के संदर्भ में ।
10. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को उनके पत्र दिनांक 24-11-2023 के संदर्भ में।
13. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग।
15. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।